भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2975
दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

मिशन पोषण 2.0

2975. श्री संतोष कुमार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती जसकौर मीना:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री निहाल चन्द्र चौहान:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री दिनेश चन्द यादव:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
कुमारी शोभ कारान्दलाजे:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री निशीथ प्रामाणिक:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिशन पोषण 2.0 आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;
(ख) मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए जिलों की बिहार सहित जिला-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि उपयोग की गई है;
(ग) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण सामग्री, वितरण प्रणाली, पहुँच और परिणाम को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार का 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सघन रणनीति अपनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या मंत्रालय को आवंटित बजट कई वर्षों से उसकी मांग से कम रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : कुपोषण के उन्मूलन के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य, कल्याण और रोगों तथा कुपोषण के प्रति इम्युनिटी को बढ़ावा वाली विकासशील पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोषक सामग्री, प्रदायगी आउटरीच और परिणामों को सशक्त बनाने के लिए मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की है। पोषक गुणवत्ता और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में परीक्षण में सुधार लाने, प्रदायगी को सशक्त बनाने और गवर्नेंस में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी

का प्रयोग करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार हो। आहार विविधता के अंतर की पूर्ति करने और पारंपरिक ज्ञान तथा आयुष पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के विकास को सहयोग देने के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिशन पोषण 2.0 में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसमें बिहार राज्यों के सभी जिलों सहित सभी राज्यों को शामिल किया गया है। पूरक पोषण की प्रदायगी में पारदर्शिता और जवाबदेही और पोषण परिणामों का पता लगाने के लिए दिनांक 13.01.2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

*****